

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 81
TO BE ANSWERED ON THE 11TH FEBRUARY, 2025**

APPOINTMENT OF PHYSICIANS WITH DIPLOMA AS TEACHERS

81 # DR. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL:

Will the Minister of Health and Family Welfare be pleased to state:

- (a) whether the National Medical Council has accepted the proposal for appointment of physicians with diploma for the post of MBBS teachers; and
- (b) whether Government considers the proposal appropriate, if so, the grounds for such consideration?

**ANSWER
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
HEALTH AND FAMILY WELFARE
(SHRI ANUPRIYA PATEL)**

(a) & (b) A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 81 * FOR 11TH FEBRUARY 2025**

(a) & (b): National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) conducts postgraduate and postdoctoral examinations in approved specialties leading to the award of Diplomate of National Board (DNB), Doctorate of National Board (DrNB), Diploma of National Board and Fellow National Board (FNB) qualifications. The qualifications awarded by National Board of Examinations in Medical Sciences are duly recognized as per provisions contained in National Medical Commission Act, 2019 for the purpose of faculty.

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 81*
दिनांक 11 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
डिप्लोमा धारक चिकित्सकों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति

81* डा. राधा मोहन दास अग्रवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद ने एमबीबीएस शिक्षकों के पद पर डिप्लोमा-धारक चिकित्सकों की नियुक्ति किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या सरकार इस प्रस्ताव को उचित मानती है, यदि हां, तो उसके औचित्य के आधार क्या हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

11 फ़रवरी, 2025 को उत्तर के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) अनुमोदित विशिष्टियों में स्नातकोत्तर और पोस्टडॉक्टरल परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी), डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डॉक्टरेट एनबी), डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड और फेलो नेशनल बोर्ड (एफएनबी) अर्हताएं प्रदान की जाती हैं। चिकित्सा विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अर्हताएं संकाय के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार विधिवत मान्यता प्राप्त हैं।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह देश माननीय नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में और माननीय जे.पी. नड्डा जी जैसे एक बहुत अनुभवी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में यह विश्वास करता है कि स्वास्थ्य के संदर्भ में, चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में, चिकित्सकों के सही प्रशिक्षण के संदर्भ में जो उचित और व्यावहारिक निर्णय होगा, वही लेगा। सरकार का जवाब यह बता रहा है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो Teachers' Eligibility Criteria 2024 जनता के बीच में सबकी opinion लेने के लिए जारी किया है, अभी उसकी रिपोर्ट सरकार के पास अधिकृत रूप से आई नहीं होगी, इसलिए सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया है। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि भविष्य में इस regulation के तहत डिप्लोमा शिक्षकों की नियुक्तियाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेडिकल कॉलेजों में की जाती हैं, तो क्या उनका उपयोग सिर्फ एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाने तक सीमित रखा जाएगा या उन्हें एमडी छात्रों को पढ़ाने और उनको शोध कराने के कार्य में भी लगाया जाएगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): मंत्री महोदय।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): जरूर।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: सर, जहाँ तक हमारे मेडिकल कॉलेजेज में, मेडिकल इंस्टिट्यूशंस में फैकल्टी के रूप में recognition का सवाल है, हमारे पास तीन किस्म के लोग हैं, जो recognized हैं। पहला, जिनके पास MD-MS है, one year Senior Residency है; दूसरा, जो DNB qualification के साथ एक 500 बिस्तर के अस्पताल में one year Senior Residency कर रहे हैं या अगर 500-bedded से कम का अस्पताल है, तो two years की Senior Residency है और तीसरा, हमारी 30 प्रतिशत जो teaching strength है, वह non-medical graduates की होती है, यानी M.Sc. और Anatomy, Physiology, Biochemistry या Pharmacology जैसे subjects में Ph.D. है। यह हमारा फैकल्टी का recognition criteria है। हमारे देश में हमें अभी भी अधिक संख्या में डॉक्टर्स की आवश्यकता है, खास तौर से जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या पीजी स्पेशलिस्ट्स हैं, जिनका एक uneven distribution है। सरकार ने देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। हमने नए-नए मेडिकल कॉलेजेज स्थापित किए। हमने 157 मेडिकल कॉलेजेज स्थापित किए। हमने 2014 से लेकर अब तक का जो सफर तय किया, 380 से आज 787 मेडिकल कॉलेजेज हो गए, लेकिन इन मेडिकल कॉलेजेज में एक बड़ा सवाल है कि हमारी जो फैकल्टी है, उसमें एक समस्या आ रही है कि हमारे पास पर्याप्त फैकल्टी कहाँ से आए। इसके लिए हमने एक decision लिया। हमारी एनएमसी एक Teachers' Eligibility Qualification 2024 का एक draft proposal लाई, जिसमें हमारे डिप्लोमा होल्डर्स, जो पीजी स्पेशलिस्ट्स हैं और जिनके पास sufficient clinical practice है, उनको हम टीचर्स के रूप में, फैकल्टी के रूप में accommodate करें। लेकिन यह प्रस्ताव है, इस पर जितने भी stakeholders हैं, उनसे हमारी

जो TEQ Committee है, वह opinion seek कर रही है। अभी तक हमारे पास 2,700 के करीब सुझाव आ चुके हैं और उनको scrutinize किया जा रहा है। जो proposal है कि हम किन पीजी स्पेशलिस्ट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को लेना चाहते हैं, तो उसमें दो categories हैं। एक हैं हमारे वे डिप्लोमा होल्डर्स, जिन्होंने as Senior Residents, 8 जून, 2017 के पहले किसी institution को join किया और लगातार वहाँ पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और दूसरे वे हैं, जिन्होंने स्पेशलिस्ट्स या मेडिकल ऑफिसर के रूप में join किया और जो लगातार 6 साल तक सेवाएँ दे रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस proposal पर अभी opinions लिए जा रहे हैं, हम इस पर विस्तारपूर्वक अभी scrutiny कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि इस पर सबके जो सुझाव आएँगे, उनके आधार पर एनएमसी कोई निर्णय लेगी। इसमें मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): प्रश्न काल समाप्त हुआ।